


**LIC**
**भारतीय जीवन बीमा निगम**  
**LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA**
**दिल्ली मण्डल कार्यालय-I**

जब प्रस्तुत पत्र के साथ मान्य स्तर का आयु प्रमाण पत्र जैसे स्कूल/यूनिवर्सिटी/जन्म प्रमाण-पत्र न दिया जा सके तो प्रस्तावित अभिकर्ता/विकास अधिकारी द्वारा दिया जाने वाला विवरण

Statement to be submitted by the Proposer/Agent/Dev. Officer when a Standard age proof viz School/University/Birth Certificate is not submitted alongwith the Proposal

शाखा कार्यालय सं.  
Branch Unit No.

1. प्रस्तावक का नाम  
Name of Proponent
2. जन्म स्थान एवं तिथि  
Place & Date of Birth
3. प्रस्तावक की शिक्षा सम्बन्धी योग्यता एवं स्कूल या कालेज छोड़ने का वर्ष  
Proponent's Education Qualification & year of leaving School or College
4. प्रस्तावक का व्यवसाय  
Proponent's Occupation
5. उसके नियोजक का नाम व पता  
His Employer's Name & Address
6. किस प्रकार का आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया  
Nature of Age Proof submitted
7. मान्य स्तर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर सकने का कारण  
Reasons for not submitting standard proof of age :
  - (i) यदि प्रस्तावक शिक्षित है तो वह स्कूल व यूनिवर्सिटी का प्रमाण पत्र दाखिल क्यों नहीं कर सकता?  
If the proponent is educated, state why a School/University certificate can not be submitted
  - (ii) जन्म का प्रमाण-पत्र क्यों नहीं प्रस्तुत किया जा सकता  
The reason why birth certificate cannot be submitted
  - (iii) यदि प्रस्तावक नौकरी करता है तो सेवा पत्रिका से उद्धरण क्यों नहीं दे सकता?  
If the proponent is in service state why an extract from Service record cannot be produced ?
  - (iv) यदि आयु के प्रमाण पत्र में कुण्डली दी गई है तो क्यों?  
If the submitted age proof is a horoscope state reason for the same ?
  - (v) यदि आयु के प्रमाण पत्र में स्वयं का या आने से बड़े का घोषणा पत्र दिया गया है उसका कारण बताइये ?  
If the submitted age proof is either an elder's declaration or self declaration state reason for the same ?